



48/18.6.8

2019/00110

श्रीमान जी,
निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी श्री हनुमान प्रसाद डेलु पुत्र श्री इमरताराम जाति जाट उम्र 62 वर्ष निवासी वार्ड नं० 2 सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाह का शपथ पत्र, आई.डी. प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत बंद वसीयत सीलड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखवाई जावे।

प्रार्थी को गवाहान रमनदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह एवं संदीप कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाह की पहचान श्री देवेन्द्र सिंह अधिवक्ता, श्रीगंगानगर. ने की।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवा कर सीलड पैकेट बंद वसीयत को सेफ कस्टडी में रखने के संबंध में आदेशार्थ प्रस्तुत है।

आदेशार्थ प्रस्तुत है। 18/6/19

जिला पंजीयक महोदय